FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान सरकार बनाम अरबाज

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/247/2022 दा0दि0 20.09.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.2022	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन महिन्द्रा बोलेरो रजि0 सं0 एच.आर. 55 ए.बी. 0616 धारा 5, 6, 8, 9 आर.बी.एक्ट के तहत थाना खेड़ली द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना खेडली से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 10.10.2022 पेश कर निवेदन किया कि वाहन स्वामी से तफतीश की जानी शेष है तथा जप्तशुदा वाहन का सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित नहीं है। जिसके पश्चात् वकील प्रार्थी के निवेदन पर थानाधिकारी से पुनः जांच तलब की गयी। थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.10.2022 में पुनः निवेदन किया कि वाहन स्वामी से तफतीश की जानी शेष है तथा जप्तशुदा वाहन का सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी खेडली जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो रजि0 सं0 एच.आर. 55 ए.बी. 0616 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर जिला कलक्टर, अलवर	